# फर्द अहकाम
## (नियम 26)
## अज अदालत संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर

पूर्णाराम पुत्र पेमाराम जाति जाट निवासी बम्बलू तहसील एवं जिला बीकानेर
पोकरराम पुत्र पेमाराम जाति जाट निवासी बम्बलू तहसील एवं जिला बीकानेर

**बनाम**

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, बीकानेर।

किस्म मुकदमा : 75 भू–राजस्व अधिनियम — अपील संख्या 47 / 2023

GCMS No. 2023 / 54

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशीयल्स जज | नं० व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 03.07.2023 | पत्रावली प्रस्तुत हुई। अभिभाषक अपीलांट ने उपस्थित होकर शीघ्र सुनवाई का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर बहस सुनने हेतु निवेदन किया। अभिभाषक अपीलांट के निवेदन पर बहस सुनी गई। पत्रावली पर प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। यह अपील तहसीलदार(भू.अ) बीकानेर के आदेश दिनांक नामांतरकरण संख्या 1456 दिनांक 21.02.2022 के विरूद्ध प्रस्तुत हुई है। अभिभाषक अपीलांट ने प्रार्थना पत्र धारा–5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत कर अपील को अन्दर मियाद शुमार किये जाने का निवेदन किया। अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को सही एवं उचित मानते हुए अपील अपीलांट को मियाद में शुमार किया जाता है।<br><br>विद्वान अभिभाषक अपीलांट श्री राजेश बैद ने अपनी बहस में कथन किया है कि अधिनस्थ न्यायालय ने आदेश जैर अपील मनमाने तरीके से, बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के स्वीकृत करने की कानूनी गलती की है। तहसीलदार (भू.अ) बीकानेर ने नामान्तरण स्वीकृत करने में जो रिपोर्ट अंकित की गई है कि ''श्रीमान जी, मुताबिक SDM महोदय बीकानेर के आदेश क्रमांक 33 दिनांक 25.10.2021 एवं TDR महोदय बीकानेर के आदेश क्रमांक 34 दिनांक 26.10.2021 की पालना में नामान्तरणकरण दर्ज कर बाद वास्ते जांच एवं उचित निर्णय हेतु सादर पेश है'' उक्त रिपोर्ट पर भूमि अभिलेख निरीक्षक ने अपनी रिपोर्ट इस प्रकार की है। कि ''उपखण्ड अधिकारी, बीकानेर के निर्णय दिनांक 28.05.2019 कर पालना में रिकॉर्ड में मिलान किया, अंकन सही है।'' उपखण्ड अधिकारी बीकानेर के आदेश दिनांक 28.05.2019 को राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर के आदेश दिनांक 04.06.2019 द्वारा निरस्त कर दिया है अर्थात् उपखण्ड अधिकारी, बीकानेर का आदेश दिनांक 28.05.2019 तत्समय अस्तित्व में ही नही था। अपीलांट ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बीकानेर से आदेश क्रमांक 33 दिनांक 25.10.2021 की प्रति सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया। जिस पर उपखण्ड अधिकारी ने स्पष्ट रूप से सूचित किया है कि ऐसा कोई आदेश माननीय न्यायालय से जारी नहीं हुआ है। इसप्रकार आदेश जैर अपील मनमाने व पूर्णतया कपटपूर्ण तरीके से अपीलांटस को नाजायज नुकसान पहुंचाने की नियत से पारित किया गया है। जो हर सूरत में निरस्त किये जाने योग्य है। | |

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान कथन किया कि उक्त प्रकरण में तहसीलदार(भू.अ) बीकानेर का अपीलाधीन आदेश नामांतरकरण संख्या 1456 दिनांक 21.02.2022 उपखण्ड अधिकारी के आदेश दिनांक 28.05.2019 की पालना में किया गया है जो निरस्त होने के कारण अस्तित्व में नहीं है एवं उपखण्ड अधिकारी बीकानेर के आदेश क्रमांक 33 दिनांक 25.10.2021 हवाला दिया गया है वह भी उपखण्ड अधिकारी बीकानेर ने अपीलांट को सूचित करते हुए बताया की उक्त आदेश इस कार्यालय द्वारा जारी नहीं किया गया है। अतः पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को वस्तुस्थिति की जांच करने हेतु प्रतिप्रेषित की जाना उचित होगा।

हमने अपील पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों तथा अभिभाषक अपीलांट एवं राजकीय अभिभाषक की बहस एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन किया। तहसीलदार(भू.अ) बीकानेर का अपीलाधीन आदेश नामांतरकरण संख्या 1456 दिनांक 21.02.2022 उपखण्ड अधिकारी के आदेश दिनांक 28.05.2019 की पालना में किया गया है जो निरस्त होने के कारण अस्तित्व में नहीं है तथा उपखण्ड अधिकारी बीकानेर के आदेश क्रमांक 33 दिनांक 25.10.2021 हवाला दिया गया है वह भी लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी बीकानेर ने अपीलांट को सूचित करते हुए बताया की उक्त आदेश इस कार्यालय द्वारा जारी नहीं किया गया है जो विचारणीय है। अतः तहसीलदार (भू.अ) बीकानेर के अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 1456 दिनांक 21.02.2022 को अपील अपीलांट की हद तक निरस्त कर अपील अपीलांट इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित (Remand) की जाती है कि तहसीलदार(भू.अ) बीकानेर प्रकरण में सभी पक्षों को सुनकर एवं दस्तावेजों की गहनता से जांच कर विधिसम्मत निर्णय पारित करें।

तदनुसार अपील अपीलांट निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 03.07.2022 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. नीरज के. पवन)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर